न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 198/2025 बउनवानी प्रेमचन्द जैन **बनाम** तहसीलदार सवाईमाधोपुर
पुत्र स्व0 श्रीमाली लाल लैन नि0 पंचमुखी नगर आलनपुर रोड़ स0मा0

GCMS No-2025/380

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	
31.12.2025	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 31.10.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर" **प्रार्थी द्वारा तहसील कार्यालय के आर.एन. 100 दिनांक 11.6.2025 के अनुसार राजस्थान उच्च न्यायालय एवं जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर के निर्णय क्रमश दिनांक 4.4.2014 एवं 23.4.2015 की पालना सुनिश्चित किये जाने हेतु याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गयी प्रा0 पत्र दिनांक 9.6.2025 एवं 30.6.2025 पर की गयी कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।"** तहसीलदार सवाईमाधोपुर से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रेषित की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक एफ/तह0/आरटीआई/2025/215 दिनांक 24.12.2025 का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 31.10..2025 के बिन्दु संख्या 1 व 4 की सूचना तहसीलदार सवाईमाधोपुर ने जरिये पत्रांक 212 दिनांक 23.12.2025 से अपीलान्ट को अवगत करवाया गया है कि चाही गयी सूचना का संबंध नगर परिषद सर्वामाधोपुर से होने के कारण उक्त सूचना नगर परिषद सवाईमाधोपुर से प्राप्त करने बाबत वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। नियत दिनांक को अपीलान्ट न्यायालय मे उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्ति पेश कर अनुरोध है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलान्ट को कोई सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है। अतः अपीलान्ट को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु तहसीलदार को निर्देशित किया जावे। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है,कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत दिनांक 31.10.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 लगायत 4 की सूचना का संबंध नगर परिषद से होने के कारण वांछित सूचना नगर परिषद सवाईमाधोपुर से प्राप्त करने बाबत अपीलान्ट को जरिये पत्रांक 212 दिनांक 23.12.2025 से वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। किन्तु लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र अधिनियम की धारा 6(3) के तहत कब व किस पत्रांक से नगर परिषद को अन्तरित किया गया है स्पष्ट अंकित नही किया है। अतः लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र मे अंकित सूचना आपके कार्यालय से संबंधित हो तो अपीलान्ट को उपलब्ध करावे अन्यथा आवेदक का आवेदन पत्र संबंधित लोक सूचना अधिकारी को अधिनियम की धारा 6(3) के तहत अन्तरित कर तीन दिवस मे इस न्यायालय को अवगत करावे। साथ ही भविष्य मे उक्त अधिनियम के तहत प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों का अधिनियम की तय समय सीमा मे अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निस्तारण किया जावे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। Sd/- (काना राम) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर	